

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
अंकेक्षण अनुभाग

क्रमांक प 12(3)वित्त / अंकेक्षण / 2017

जयपुर, दिनांक 08-06-2020

सम्मत अधिकारी मुख्य सचिव/  
एम्स शासन सचिव / शासन सचिव  
राजस्थान जयपुर।

विषय अंकेक्षण से संबंधित समस्त मामलों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित करने हेतु  
नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने यावत्।

इस विभाग के समसरख्यक परिपत्र दिनांक 19.09.2019 के माध्यम से अंकेक्षण से संबंधित समस्त  
मामलों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित करने हेतु प्रशासनिक विभाग (शासन सचिवालय) के स्तर  
पर संयुक्त शासन सचिव / शासन उप सचिव एवं विभागाध्यक्ष के स्तर पर अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के  
पर में अधिकारियों को नोडल अधिकारी (Nodal Officers) नियुक्त करने हेतु निर्देश जारी किये गये  
कि प्रत्यक्ष अधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त करके नवीनतम सूचना से जन लेखा समिति,  
राजस्थान विधानसभा, प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा / आर्थिक एवं राजस्व  
भूमि लेखापरीक्षा) तथा वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत नहीं कराया गया है।

अत अनुरोध है कि प्रशासनिक विभाग (शासन सचिवालय) के स्तर पर संयुक्त शासन  
सचिव / शासन उप सचिव एवं विभागाध्यक्ष के स्तर पर अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के स्तर के अधिकारियों  
का नोडल अधिकारी (Nodal Officers) नियुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें तथा उनके नाम,  
पदनाम, उनके कार्यालय, आवास एवं मोबाइल नं. आदि की जानकारी जन लेखा समिति, राजस्थान  
विधानसभा प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा / आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र  
लेखापरीक्षा) तथा वित्त (अंकेक्षण) विभाग को प्रेषित की जावें। नोडल अधिकारी का रथानान्तरण हो जाने  
की रिक्ति में नोडल अधिकारी का चार्ज संभलवाया जावें तथा उसकी सूचना संबंधित प्राधिकारियों को  
भी प्रेषित की जावें। ये नोडल अधिकारी अंकेक्षण से संबंधित समस्त मामलों के निर्धारित समयावधि में  
उत्तर प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्ष नोडल अधिकारियों की  
सूची अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करना सुनिश्चित करें तथा उसको समय-समय पर अद्यतन  
करते रहें। जिन विभागों में पूर्व में सूचना प्रेषित कर दी है तथा उस सूचना में कोई परिवर्तन नहीं है  
उन पुनः सूचना भिजाने की आवश्यकता नहीं है।

मवदीय। |

(निमंजन जायी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

(क्र. 3)  
25.6.2020

- प्रांतीय निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
- सम्मिलित राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
  - प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा / आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान जयपुर।
  - समस्त विभागाध्यक्ष।
  - निदेशक वज्र / समस्त संयुक्त शासन सचिव / शासन उप सचिव, वित्त विभाग।
  - तकनीकी निदेशक, पित्त कार्यपालिका को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

7771  
25.6.2020

FA  
16/6/2020

संयुक्त शासन सचिव  
संयुक्त शासन सचिव

Nodal अधिकारी PAC के आदेश पर लेकिन कर लेंगे हैं  
कि ACS (वित्त) मंडायम के निदेशों की पालन में वेबसाइट पर उपलब्ध करें।  
25.6.2020.

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

कार्यालय आदेश

श्री हर्ष सावनसुखा, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय, के. का. उदयपुर को जनलेखा समिति एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अंकेक्षण आक्षेपों सीएजी/पीएसी प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में निदेशालय स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

श्री हर्ष सावनसुखा, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय, के. का. उदयपुर के दुरभाष न0 निम्न प्रकार है:-

1. कार्यालय न0:- 0294-2414072
2. मोबाइल न0:- 9414165247

४०५००३  
(गौरव गायल)IAS  
निदेशक

खान एवं भूविज्ञान विभाग,  
राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक:- निदे/प.13/ग्रुप-3/नोडल अधिकारी/2020/2274-2276/दिनांक 27.02.2020

- 1) संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि इस सन्दर्भ में शासन स्तर से वित्त विभाग, जनलेखा समिति एवं महालेखाकार जयपुर को सूचित कराने का कष्ट करावें।
- 2) श्री हर्ष सावनसुखा, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय, के. का. उदयपुर।
- 3) श्री एन.के.कोठारी, अतिरिक्त निदेशक (खान) मुख्यालय, के.का.उदयपुर।

निदेशक